न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक
(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 05.03.2024

रमेश पुत्र बरदा मीणा निवासी ग्राम आमली, पोस्ट देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज.

......अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार दूनी दिनांक 14.02.2024
मिसल नम्बर 834 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 27.03.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 758 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम आमली, पोस्ट देवडावास तहसील दूनी पर फसल सरसों काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 12.00 रू. का 50 गुणा जुर्माना कुल 600 रू. जमा कराने तथा मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट पर नहीं हुई, तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि अनुसार अपीलांट पर तामिल नहीं करायी गई थी किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की गलत रूप से उपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के उपस्थिति बाबत कोई हस्ताक्षर व अंगूठा नहीं हो रखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिए बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। तामिल कुनिन्दा द्वारा जो नोटिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, उसमें अपीलांट का नोटिस उसके भाई बाबूलाल द्वारा लिया जाना अंकित है और बाबूलाल के हस्ताक्षर होना अंकित किया है जबकि अपीलांट का भाई बाबूलाल पढा-लिखा व्यक्ति नहीं है, व अंगूठा निशानी करता है, लेकिन उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और न ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हल्का पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है जिससे अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 14.02.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट ने भूमि आराजी आराजी खसरा नम्बर 758 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 618/2015 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काश्त कर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

हुआ है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार दूनी से उक्त भूमि पर कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार दूनी ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 743 दिनांक 27.03.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं मौके पर भूमि खाली है। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता हैं कि अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी के निर्णय दिनांक 14.02.2024 के जरिये की गई दोष सिद्धी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती हैं कि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुरेश चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक